

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**आदेश**

श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा द्वारा उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में कराये गये मालभिट्टा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण कार्य की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अधिकाई भुगतान/अनियमितता की पुष्टि के आलोक में श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त से विभागीय पत्रांक- 3971 दिनांक- 27.07.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मालभिट्टा नाला में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण कार्य में एकरारनामा के अनुसार friction block निर्माण का प्रावधान किया गया है, परन्तु कार्य स्थल पर इसका निर्माण नहीं कराया गया है। friction block निर्माण नहीं कराये जाने के फलस्वरूप बोल्टर पिचिंग कार्य डिस्टर्ब होने पर अधिकाई व्यय रु० 81,644 के लिए श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता दोषी पाये गये।

3. श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्ति से उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-139 अन्तर्गत पेंशन से 5% की वसूली तीन वर्षों के लिए का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक- 2233 दिनांक- 12.05.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। श्री सिन्हा द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

श्री सुनील कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता को देय पेंशन से 5% की राशि की वसूली तीन वर्षों के लिए।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक : ..... 1076 ..... राँची / दिनांक - 12-02-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/उप सचिव, (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री सुनील कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, 201 समृद्धि एलोगेन्स ब्लॉक 'ए' चौबे बगान, मु०-अनन्तपुर, पो०+थाना-डोरण्डा, राँची-834002/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव